तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चन्द्रशेखर बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार तिंवरी) सू.अ.अ. अपील संख्या 175 / 2017	
27.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्रशेखर पुत्र सोमदान पता पुलिस थाना कालन्द्री जिला सिरोई ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.09.17. में उसके द्वारा (1) राजस्व गांव नेरवा चारणान पटवार हला संतोड़ा खूर्द के खसरा नं. 239 आम रास्ता का सर्वप्रथम बार सीमाज्ञान किया गया था जिसकी मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी जिस पर मुझ प्रार्थी के हस्ताक्षर है, की प्रमाणित प्रति (2) ख.नं. 239 आम रास्ता नेरवा चारणान के सीमाज्ञान के बाद भू–अभिलेख नि0 जेलु गगाड़ी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 16.06.2016 को तैयार की गई थी जिसमें ग्राम पंचायत संतोड़ा द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रमाण–पत्र संलग्न बताया है संलग्न ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति व अन्य 14 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिंवरी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से जरिये पत्रांक 250 दिनांक 14.11.17 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 182 दिनांक 12.10.17 को डाक द्वारा भिजवाई गई है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के साथ अपीलार्थी को पूर्व में सूचित पत्र सं. 182 दिनांक 12.10.17 की फोटो प्रति भी भिजवाई। उक्त पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को बिन्दुवार उत्तर दिया गया है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को बिन्दुवार सूचित किया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	